मु० नं. 198/25 — उनवान - सोनी बनाम हुकम सिंह

30/3/26 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड ए.डी. कराये 1 माह से अधिक हो चुका है। बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 15/4/26 को पेश हो।

15/4/26 फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दि. 11/5/26 को पेश है
रीडर
उपखण्ड अधिकारी वैर

11-5-26 फरीकन उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य पर है पत्रावली पूर्व आज्ञा अनुसार दि. 20-5-26 को पेश है
रीडर
उपखण्ड अधिकारी वैर

20/5/26 – पेश प्रार्थी उप०। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र धारा 212 LR Act के तहत पेश कर निवेदन किया कि आ० खा० नं० $\frac{336}{0.05}$, $\frac{337}{0.07}$, $\frac{35}{0.38}$, $\frac{58}{0.35}$, $\frac{60}{0.40}$, $\frac{63}{0.35}$, $\frac{110}{0.23}$, $\frac{117}{0.93}$, $\frac{96}{0.24}$ वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील वैर। स्थित है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की सहखातेदारी की है। अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को रहन, बय मुन्तकिल करने पे आमादा है जब तक विवादित आराजी का बटवारा विभाजन नहीं हो जाता अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। (प्र०)

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बैर

सोमी बनाम हुकम [illegible]

मुकदमा प्रा० धारा 212 LR Act नं. 198/2025 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर हुए अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस जारी किया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30/03/26 से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय-कार्यवाही अमल में लायी गई। हमने विद्वान एड० वादी/प्रार्थी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न [illegible] का अवलोकन किया गया व अभिलेख का [illegible] चूंकि विवादित आराजीयात पक्षकारान एवं [illegible] है विवादित खातेदारान की सहखातेदारी भूमि है। विवादित आराजीयात बाबत पक्षकारान के मध्य [illegible] हो उभयपक्षकारान [illegible] का विवाद पैदा न हो [illegible] मूल वाद के के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर उभयपक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजीयात की किस्म व मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है परन्तु उक्त आदेश से [illegible] किसी भी पक्षकार/खातेदार को बेचान, रहन बाबत निषेधाज्ञा रहेगा। पत्रावली के साथ [illegible] नम्बर से कम हो। वाद-तकमील सम्बन्धित मूल वाद हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
बैर (भरतपुर)